राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	बंशीधर बनाम लालचन्द हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	524/2025	
20/02/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई	अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित	अधिवक्ता रेस्पो. की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी	अधिवक्ता अपीलार्थी की मौखिक/लिखित बहस हेतु पत्रावली दिनांक 26/02/2026 को पेश हो	
26/02/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई	अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित	अधिवक्ता अपीलार्थी की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी	अधिवक्ता रेस्पो. की बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है	पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 13/03/2026 को पेश हो	
13/03/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई	संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 30/10/2023 पारित करते हुये ग्राम नीदड पटवार हल्का नीदड, तहसील रामपुरा डाबड़ी के खसरा नम्बर 2647, 2649, 2664, 2909, 2948, 2955, 3006, 3008, 3015, 3005, 3021, 3026, 3001/3510, 2656, 2648, 2776, 3022, 3023 स्थित पर किसी प्रकार का अकृषि निर्माण या बदलाव नही किये जाने एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने के आदेश प्रदान किये गये	जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रार्थना पत्र धारा-5 कानून मियाद के साथ प्रस्तुत की गयी	जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी | अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया	उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन अन्तरिम आदेश अवलोकन किये जाने से उसमे प्रथमदृष्टया कोई त्रुटी जाहिर नही होती है	इसके अतिरिक्त अपील के स्तर पर अपीलार्थी प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्तनीय क्षति के बिन्दुओ को अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहे है तथा प्रार्थना पत्र धारा-5 मियाद अधिनियम में डिले कन्डोन हेतु अंकित तथ्यों को साबित करने में असफल रहे है	ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन अन्तरिम आदेश में कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है | अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 30/10/2023 में कोई हस्तक्षेप नही करते हुये अपील अपीलार्थी उपरोक्त विवेचन के आधार पर ख़ारिज की जाती है | पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो | निर्णय आज दिनांक 13/03/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया | राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	